राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1964 / 2016
श्रीमती लाडबाई एवं अन्य

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्व विभाग, राजस्थान, अजमेर।
4. कलेक्टर (भू राजस्व), दौसा जिला दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. यह अपील मृतक कर्मचारी लक्ष्मण राम मीणा के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण की ओर से यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी लक्ष्मण राम मीणा पटवारी के पद पर कार्यरत था। उनकी जन्म तिथि 01.01.1957 थी एवं उनकी मृत्यु दिनांक 21.02.2013 को हुई थी। अपीलार्थीगण को लक्ष्मण राम मीणा की मृत्यु हो जाने के उपरांत फैमेली पेंशन, ग्रेचुटी, लिव इंकेशमेंट, स्टेट इंश्योरेंस एवं जीपीएफ की राशि का भुगतान नहीं किया गया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन किया है कि वर्तमान में अपीलार्थीगण को समस्त सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान कर दिया गया हैं, परंतु उक्त लाभ का भुगतान मृत्यु के 3 वर्ष पश्चात किया गया है। ऐसे में अपीलार्थीगण देरी से हुये भुगतान पर ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
2. हमारे समक्ष यह प्रकट हुआ है कि पूर्व में लक्ष्मण राम मीणा के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण लम्बित था। चूंकि हम यह पाते हैं कि लक्ष्मण राम मीणा की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके विरूद्ध लम्बित फौजदारी प्रकरण समाप्त हो गया था तो समस्त सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान मृतक कर्मचारी के विधिक प्रतिनिधियों को मृत्यु के तुरंत बाद ही किया जाना चाहिए था।

3. अतः इस अपील में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को मृतक कर्मचारी लक्ष्मण राम मीणा के समस्त सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में हुई देरी के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज राशि प्रदान की जाये।
4. इस आदेश की पालना 4 माह में सुनिश्चित की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)